फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री मुकेश कुमार बैरवा (एडवोकेट) गांव व पो. बड़ारड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द

– **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द

– **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 82/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 08.01.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये क्रमांकः– एफ.1( )सू0अ0,05/प्र.अपील/2023/815–816 दिनांक 15.12.2023 प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2023 का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस कार्यालय को 23.08.2023 को प्राप्त हुआ है प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना कार्यालय के राजस्व अनुभाग से संबंधित होने से इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को जरिये पत्रांक 632 दिनांक 23.08.2023 से पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 2475 दिनांक 11.10.2023 से उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार सूचना आरटीआई को उपलब्ध करवायी गयी है। इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी को आंशिक सूचना उपलब्ध रिकार्ड अनुसार हस्ताक्षरित व अधिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करवा दी गयी एवं अन्य सूचना के संबंध में प्रार्थी को जरिये डाक इस कार्यालय के पत्रांक 745 दिनांक 16.10.2023 व पत्रांक 789 दिनांक 22.11.2023 से अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना नोएडा हेल्थकेयर ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट से संबंधित भूमि आंवटन की पत्रावली अग्रीम कार्यवाही हेतु जिला उधोग केन्द्र, जिला राजसमन्द को प्रेषित की गयी है जिससे उक्त सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना	

न्यायालय जिला कलक्टर

प्रति प्रमाणित

रीडर
न्यायालय जिला कलेक्टर

अपीलार्थी को निश्चित समयावधि में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार उपलब्ध करवा दी गयी है तथा अवशेष वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अवशेष वांछित सूचना हेतु नियमानुसार जिला उधोग केन्द्र, राजसमन्द में आवेदन कर वांछित सूचना प्राप्त करें। अतः उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

Bull

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

फोटो प्रति प्रमाणित

रीडर
न्यायालय जिला कलेक्टर
राजसमन्द (राज.)